


न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा
पीठासीन अधिकारी – श्रीमती निमिषा गुप्ता, आर ए एस
अपील संख्या- एल आर ए/158/2017

उनवान

1. जगदीश पिता  रीगार निवासी ईटूण्डा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा
—अपीलाण्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार जहाजपुर जिला भीलवाडा

—रेस्पोंडेण्ट

अपील विरुद्ध जिला कलक्टर, भीलवाडा प्रकरण संख्या
81/2016 निर्णय दिनांक 25.1.2017 एवं तहसीलदार, जहाजपुर
के प्रकरण संख्या 12/2016 निर्णय दिनांक 27.9.2016

- अभिभाषक : 1. श्री मनीष कांटिया, अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

आदेश

दिनांक 27.3.2018


1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि पटवारी हलका ईटूण्डा ने तहसीलदार जहाजपुर के यहाँ एक प्रतिवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी ने मौजा ईटूण्डा के खसरा नम्बर 1842/1 कुल रकबा 12.04 बीघा किस्म मगरी में से 4.00 बीघा भूमि पर ज्वार की काश्त कर एवं 1.00 बीघा पडत कुल 5 बीघा भूमि पर पर संवत् 2073 में अवैध कब्जा कर रखा है। अतः अपीलार्थी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावे। अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण निर्णय दिनांक 27.9.2016 द्वारा अपीलार्थी/विपक्षी को मौजा ईटूण्डा के खसरा नम्बर 1842/1 कुल रकबा 12.04 बीघा किस्म मगरी में से 4.00 बीघा भूमि पर ज्वार की काश्त कर एवं 1.00 बीघा पडत कुल 5 बीघा भूमि पर पर संवत् 2073 में अवैध कब्जा करने का एवं पश्चातवर्ती अतिचार का दोषी मानते हुए विवादित आराजी से बेदखल करने तथा 138/- रुपये के अर्थदण्ड तथा 15 दिन के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित किया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रथम अपील प्रस्तुत की जो बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय दिनांक 25.1.2017 द्वारा खारिज की गई जिससे व्यथित होकर यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की।
2. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।
3. अपीलार्थी के अधिवक्ता ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति है। जिससे वह अपने अधिवक्ता से सम्पर्क नहीं कर सका। इसलिए अपीलाधीन निर्णय की यथासमय अपीलार्थी को जानकारी नहीं हो सकी। जानकारी होते ही अपीलार्थी ने अपीलाधीन निर्णय की नकल लेकर अविलम्ब अपील प्रस्तुत की है। अतः अपील अपीलार्थी अन्दर मियाद मानी जावे।
4. अपीलार्थी के योग्य अभिभाषक का यह तर्क है कि अपीलार्थी का वादग्रस्त भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण सिद्ध नहीं था और अपीलार्थी ने मौके से कब्जा भी हटा लिया है। जुर्माना भी जमा करा दिया है। वर्तमान में अपीलार्थी का वादग्रस्त भूमि पर किसी प्रकार का कब्जा नहीं है। अपीलार्थी भविष्य में वादग्रस्त भूमि पर कब्जा नहीं करेगा। अपीलार्थी गरीब काश्तकार है। यदि अपीलार्थी को सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया तो अपीलार्थी पर आश्रित परिवार के सदस्यों पर आजीविका का संकट उत्पन्न हो जायेगा। अतः अपीलार्थी के विरुद्ध नरमी का रुख अपनाया जावे। उन्होंने



अपने तर्कों की पुष्टि में विधिक दृष्टान्त 2010 (16) आर बी जे 57 एवं 2011(2) आर आर टी 1163 प्रस्तुत किया।

5. प्रत्यर्थी की ओर से राजकीय अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी को समुचित नोटिस जारी कर और सुनवाई का पर्याप्त अवसर देकर पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य पर पूर्णतया गौर कर जो निर्णय पारित किया है वह पूर्णतया विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।
6. हमने उभय पक्षों के विद्वान वकीलों की बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। अपीलार्थी ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कण्डोन किये जाने का निवेदन किया। अपीलार्थी ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है वह सद्भाविक एवं संतोषप्रद होने अपील अपीलार्थी अन्दर मियाद मानी जाती है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को सरकारी भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण करने का दोषी माना है और इस दोषसिद्धि में हस्तक्षेप करने का कोई न्यायिक आधार मेरे समक्ष नहीं है अतः दोषसिद्धि की पुष्टि की जाती है। जहाँ तक सिविल कारावास में नरमी का रूख अपनाये जाने का प्रश्न है। अपीलार्थी की ओर से निवेदन किया गया है एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है कि उसने मौके पर से कब्जा हटा लिया है एवं भविष्य में कब्जा नहीं करेगा। पटवारी हल्का ने मौका रिपोर्ट दिनांक 19.3.2018 को तैयार की है जिसमें वादग्रस्त आराजी से अपीलार्थी द्वारा कब्जा छोड़ देने की अंकित है। अतः अपीलार्थी के ग्रामीण परिवेश को ध्यान में रखते हुए तथा 2010 (16) आर बी जे 57 एवं 2011 आर आर टी (2) 1163 में हुए विनिर्णय को मध्यनजर रखते हुए एवं न्यायहित में अपीलार्थी को सुधरने का एक अवसर देने के उद्देश्य से सिविल कारावास की सजा को आगे उल्लिखित शर्तों पर स्थगित किया जाना न्यायसंगत समझती हूँ।
7. उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, भीलवाडा के निर्णय दिनांक 25.1.2017 एवं तहसीलदार जहाजपुर के निर्णय दिनांक 27.9.2016 के जरिये की गई दोषसिद्धि एवं अर्थदण्ड को यथावत रखा जाता है। अपीलार्थी के विरुद्ध नरमी का रूख अपनाते हुए अपीलार्थी द्वारा भुगती गई सिविल सजा को छोड़कर शेष सिविल सजा माफ की जाती है।
8. निर्णय आज दिनांक 27.3.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।




 (निमिषा गुप्ता)
 भू प्रबन्ध अधिकारी एवं
 पदेन राजस्व अधिकारी
 राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा